

इस अंक में...

विषय सूची

प्रश्नपत्र - 1

➤ मानव विकास रिपोर्ट 2018	1	➤ भारत के नये सॉलिसिटर जनरल नियुक्त	35
➤ कक्षा 3 तक 1/4 बच्चे कहानियां समझने में सक्षम	4	➤ निककी हेली का इस्तीफा	35
➤ 27 करोड़ लोग हुए गरीबी से बाहर: संयुक्त राष्ट्र	5	➤ एसपीजी रैपिड एक्शन फ़ोर्स	36
➤ भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई	5	➤ आतंकवाद निरोधक बल 'कवच'	37
➤ विश्व में भुखमरी के स्तर में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि	6	➤ 86वां वायु सेना दिवस	37
➤ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018	6	➤ व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि	38
➤ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018	7	➤ 'जेआईएमईएक्स 18' आरम्भ	39
➤ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस	8	➤ भारत-कज़्ञिस्तान रक्षा/सैन्य तकनीक क्षेत्र में सहयोग	40
➤ #MeToo पर जांच समिति गठित	8	➤ रीता बरनवाल	41
➤ 'वोडाफोन सखी'	9	➤ 'आपरेशन समुद्र मैत्री'	41
➤ वैज्ञानिक लियोन लीडरमैन का निधन	9	➤ जी-4 राष्ट्र	42
➤ सौरमंडल के बाहर चंद्रमा का साक्ष्य	10	➤ सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षांगांठ	43
➤ नोबेल पुरस्कार 2018: रसायन विज्ञान	11	➤ लोकपाल खोज समिति गठित	43
➤ श्रेणी के लिए तीन वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा	11	➤ मैटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया समाप्त	44
➤ मैन बुकर पुरस्कार- 2018	12	➤ 'चौपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड'	45
➤ भारत के प्रधानमंत्रियों पर दिल्ली में संग्रहालय	12	➤ टी-72 टैंकों के लिए 1000 इंजनों की खरीद	46
➤ पॉल एलेन का निधन	13	➤ 15 लाख कक्षाओं का डिजिटलीकरण	46
➤ 'प्रयागराज'	13	➤ सांसदों/विधायिकों को वकालत करने पर रोक नहीं	47
➤ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस	14	➤ हांगकांग में स्वतंत्रता समर्थक राजनीतिक दल प्रतिबंधित	47
➤ 'निर्माण कुसुम' योजना	15	➤ भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल 19 जज	48
➤ कोंकण के अल्फांसो आम को जीआई टैग	15	➤ मालदीव राष्ट्रपति चुनाव	48
➤ संदीप बक्शी	16	➤ डेल/टाटा ट्रस्ट के मध्य समझौता	49
➤ विश्व आवास दिवस 2018	17	➤ महिला सुरक्षा हेतु दो पोर्टल लॉन्च	49
➤ चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ	17	➤ भारत/मोरक्को ने कनेक्टिविटी हेतु हवाई सेवा समझौता	50
➤ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018	18	➤ यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी	51
➤ प्रसिद्ध हिंदी कवि विष्णु खरे का निधन	20	➤ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	51
➤ अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन	20	➤ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	52
➤ हिंदी दिवस 2018	21	➤ अखिल भारतीय पेंशन अदालत	53
➤ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	22	➤ द. चीन सागर में जापान का पहला पनडुब्बी अभ्यास	54
➤ जसदेव सिंह का निधन	23	➤ भारत/सर्बिया ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर	54
➤ शंघाई मार्स्टर्स ओपन	23	➤ झारखंड सरकार की इलेक्ट्रिक कारों की सेवा आरंभ	55

प्रश्नपत्र - 2

➤ आधार वैध: सर्वोच्च न्यायालय	24	➤ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भोवाइल ऐप लॉन्च	56
➤ नागराज मामले पर पुनर्निचार, नहीं: एस.सी	24	➤ बॉम्बे को QS रैंकिंग में टॉप पोजिशन	56
➤ कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी	25	➤ अनुच्छेद 35(A): एक समग्र अवलोकन	57
➤ सतत विकास फ्रेमवर्क पर समझौता	26	➤ डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह	58
➤ WHO द्वारा वैश्वक स्वच्छता/स्वास्थ्य हेतु दिशा-निर्देश	26	➤ चावहार बंदरगाह	59
➤ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट-2018	27	➤ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हेतु SPG का गठन	60
➤ पाकिस्तान सरकार द्वारा मिनी बजट पेश	28		
➤ भारत में 21.40 लाख लोग एड्स से पीड़ित	28		
➤ माब लिंगिंग पर समिति ने रिपोर्ट सौंपी	29		
➤ कॉमकासा (COMCASA)	29		
➤ मानवाधिकार परिषद का चुनाव	30		
➤ भारत और ताजिकिस्तान के मध्य समझौता	31		
➤ आयुष्मान योजना के पुनः लाभ हेतु आधार आवश्यक	32		
➤ आंग सान सू की से मानद नागरिकता	33		
➤ अमेरिका और कनाडा के बीच नाप्टा समझौता	33		
➤ मलेशिया सरकार ने मृत्युदंड समाप्त करने का फैसला	34		

प्रश्नपत्र - 3

➤ भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था	61
➤ विश्व की पहली बायो-इलेक्ट्रिक मेडिसिन	61
➤ भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत	62
➤ 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' रिपोर्ट	62
➤ सेबी ने शेयर बायबैक नियमों को संशोधित किया	63
➤ जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी	64
➤ कृषि खाद्य एवं खरीद मानदंडों में बदलाव	64
➤ द. ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमी एंड क्लाइमेट	65
➤ भारत के पहले राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की घोषणा	66
➤ केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण बॉन्ड योजना	66
➤ समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा वार्ता	67

➤ आईपीसीसी की रिपोर्ट जारी	67	➤ के.एन. व्यास	93
➤ एशिया के पहले डॉल्फन रिसर्च सेंटर की स्थापना	68	➤ 'द फ्लूचर ऑफ जॉब्स' नामक रिपोर्ट	94
➤ भारत 2022 तक दुनिया का 11वां सबसे अमीर देश	69	➤ विश्व की पहली हाइड्रोजन इंधन ट्रैन	94
➤ भारतीय बायु सेना ने मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया	69	➤ विश्व के पहले प्राइवेट स्पेस पैसेंजर	95
➤ अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस	70	➤ तीन बैंकों का विलय	96
➤ भारत और रूस के मध्य एस-400 समझौता	70	➤ इसरो ने ब्रिटिश उपग्रहों को प्रक्षेपित किया	97
➤ चीन द्वारा हाइपरसोनिक विमानों का सफल परीक्षण	71	➤ ऊर्जा खपत कम करने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम	98
➤ फोर्ब्स की वैश्विक कम्पनियों- 2000 की सूची जारी	72		
➤ 'Ask Disha' चैट बॉट लॉन्च	72		
➤ विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य	73		
➤ युवा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण लाइसेंस कार्यक्रम	73		
➤ दिल्ली के लिए बायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी	74		
➤ नीति आयोग का इंटर्नीशन कार्यक्रम	75		
➤ केंद्रीय विश्वविद्यालय/अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र: एनसीवीईटी	76		
➤ कोका-कोला/नेस्ले सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां	77		
➤ डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष	77		
➤ पिच टू मूव	78		
➤ मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना	78		
➤ RBI ने फेडरल बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना	78		
➤ भारत-एडीबी के मध्य 110 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता	79		
➤ भारतीय रेलवे तथा रूस के मध्य समझौता	80		
➤ पहली बार सौरमंडल के बाहर किसी चंद्रमा का साक्ष्य	80		
➤ 'डिजी यात्रा' सेवा आरंभ	81		
➤ भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी	81		
➤ इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी	82		
➤ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का आयोजन	82		
➤ जम्मू और कश्मीर के उधमसुर में नदी प्रदूषण समाप्ति योजना को मंजूरी	83		
➤ गीता गोपीनाथ IMF मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त	83		
➤ 'स्टैट' पहल	84		
➤ प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति	84		
➤ विश्व में पहली बार टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा शेर के शावकों का जन्म	85		
➤ केंद्र सरकार ने गूगल की साझेदारी से #LooReview अभियान आरंभ किया	85		
➤ जीएसटीएन सरकारी ईकाई घोषित	86		
➤ नेशनल डिजिटल कार्युनिकेशन पॉलिसी	86		
➤ स्वदेशी अख मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण	87		
➤ दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 'बायु' प्रणाली	88		
➤ वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ग्रास नली विकसित करने में सफलता प्राप्त की	88		
➤ सिक्किम में पहला एयरपोर्ट स्थापित	89		
➤ आईजीआई एयरपोर्ट विश्व का 16वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट: रिपोर्ट	90		
➤ भारत ने इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया	90		
➤ नीलकुरिंजी पौधे के संरक्षण की घोषणा	91		
➤ जापान ने पृथ्वी से 30 करोड़ किमी दूर ऐस्टरोयड पर उतारे दो रोबोट रोवर	91		
➤ बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रहार' का सफल परीक्षण	92		
➤ गृह मंत्रालय/इसरो का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	93		

यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न

ग्रन्थिका - १

मानव विकास रिपोर्ट 2018

मुद्दा क्या है?

- ⌚ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा 14 सितंबर, 2018 को 'मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI 2018) आधारित मानव विकास रिपोर्ट 2018 जारी की गई।
- ⌚ विगत वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ है।
- ⌚ इस वर्ष विश्व के 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। वर्ष 2017 में भारत 131 वें स्थान पर था। ब्रिक्स देशों में भारत की सबसे खराब रैंकिंग है।
- ⌚ एशियाई देशों में जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल भारत से नीचे हैं वहीं दक्षिण एशियाई पड़ोसी श्रीलंका की बेहतर रैंकिंग है।
- ⌚ इस रिपोर्ट में सर्वोच्च रैंकिंग नॉर्वे की है जिसका मानव विकास सूचकांक 0.953 है।
- ⌚ दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर क्रमशः स्विटज़रलैंड, आस्ट्रेलिया एवं आयरलैंड हैं।
- ⌚ वर्ष 2012 के मुकाबले आयरलैंड की रैंकिंग में 13 अंकों का सुधार हुआ है जो बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। नाइजर की रैंकिंग सबसे नीचे है।

महत्वपूर्ण बिन्दु क्या हैं?

- ⌚ सूचकांक में भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.640 है।
- ⌚ वर्ष 1990 के 0.427 स्कोर की तुलना में 2017 में भारत के मानव विकास स्कोर में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो इस बात का संकेत देता है कि करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है।
- ⌚ सूचकांक में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर मानव विकास में सुधार हो रहा है।
- ⌚ विश्व के 189 देशों में से 59 देश अति उच्च मानव विकास समूह में हैं जबकि केवल 38 देश ही निम्न मानव विकास समूह में हैं।

- ⌚ वर्ष 2010 में अति उच्च मानव विकास समूह में 49 देश थे। सूचकांक में भले ही दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग काफी नीचे है परंतु वर्ष 1990 से 2017 के बीच यह सर्वाधिक तेजी से विकास वाला क्षेत्र रहा है।
- ⌚ आलोचना की अवधि में इस क्षेत्र में मानव विकास में 45.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- ⌚ रिपोर्ट के अनुसार एचडीआई स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 से औसत 22 प्रतिशत की वृद्धि, कम विकसित देशों में तो यह 51 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है।
- ⌚ यह इस बात को दर्शाता है कि लोग औसतन अधिक वर्ष जीवित रह रहे हैं, अधिक शिक्षित हो रहे हैं और उनकी आय भी बढ़ी है। परंतु लोगों के बीच रहन-सहन में वैश्विक स्तर पर असमानता है।


भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- ❖ संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा के मामले में स्थिति बेहतर हुई है।
- ❖ वर्ष 1990 से 2017 के बीच भारत में जन्म के वक्त जीवन प्रत्याशा में करीब 11 सालों की बढ़ोतरी हुई है।
- ❖ भारत में जीवन प्रत्याशा 68.8 साल है जबकि 2016 में यह 68.6 साल और 1990 में 57.9 साल थी।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, स्कूली शिक्षा के मामले में भी स्थिति सुधारी है, जबकि 1990 और 2017 के बीच भारत की सकल राष्ट्रीय आय (GNI) प्रति व्यक्ति 266.6 प्रतिशत बढ़ी है।
- ❖ इसके अलावा 189 देशों में से 59 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, जबकि 38 देशों को न्यूनतम मानव विकास की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- ❖ हालाँकि, असमानताओं के कारण भारत के HDI मान में 26.8 प्रतिशत की कमी हुई है, जो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों (क्षेत्र के लिये औसत नुकसान 26.1 प्रतिशत) के मुकाबले ज्यादा है।
- ❖ इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक के स्तर पर भारत 160 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर स्थान हासिल किया है।

- उदाहरण के तौर पर, नॉर्वे, (जिसका एचडीआई मूल्य सर्वाधिक है) में जन्मा बच्चा 82 वर्ष से अधिक जीवित रहने का पूर्वानुमान कर सकता है और लगभग 18 वर्ष स्कूल में रह सकता है, वहीं नाइजर, (जिसका एचडीआई मूल्य सबसे कम है और सूचकांक में सबसे निचली रैंकिंग भी है) में जन्मा बच्चा औसतन केवल 60 वर्ष जीवित रहने के बारे में सोच सकता है और केवल 5 वर्ष स्कूल में रहने के बारे में सोच सकता है।
- उल्लेखनीय है कि ऑक्सफॉम ने जनवरी 2018 में असमानता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें उसने कहा था कि विश्व में आठ व्यक्तियों के पास जितनी संपत्ति है वह विश्व के सर्वाधिक गरीब 3.6 अरब आबादी के पास है।
- भारत के संदर्भ में ऑक्सफॉम की रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2017 में भारत में जितना धन सृजित हुआ उसका 73 प्रतिशत सबसे धनी एक प्रतिशत के हाथों में गया वहीं सबसे गरीब 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में महज एक
- प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- भारत में चिंता का दूसरा विषय लैंगिक असमानता है, खासकर भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी दर काफी कम है।
- लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की 127वीं रैंकिंग (160 देशों में) इसी को परिलक्षित करता है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी महज 11.6 प्रतिशत है और केवल 39 प्रतिशत वयस्क महिलाएं माध्यमिक शिक्षा स्तर तक पहुंची हैं।
- सबसे खराब स्थिति श्रम बाजार में भागीदारी के स्तर पर है। पुरुषों की 78.8 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी महज 27.2 प्रतिशत है जो कि 49 प्रतिशत के वैश्विक स्तर से काफी कम है।
- कैसे तैयार होता है मानव विकास सूचकांक
- मानव विकास रिपोर्ट पांच भिन्न सूचकांकों में विभिन्न देशों के अर्जित स्कोर के आधार पर तैयार की जाती है।

मानव विकास रिपोर्ट के घटक

मानव विकास रिपोर्ट



विभिन्न देशों की एचडीआई रैंकिंग		
रैंक	देश	एचडीआर
1	नॉर्वे	0.953
2	स्विट्जरलैंड	0.944
3	ऑस्ट्रेलिया	0.939
130	भारत	0.640
136	बांग्लादेश	0.608
150	पाकिस्तान	0.562

189	नाइजर	0.354
-----	-------	-------

- मानव विकास सूचकांक
- मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई मानव विकास की तीन बुनियादी पहलुओं में दीर्घकालिक प्रगति का मापन है। ये तीन बुनियादी पहलू इस प्रकार हैं:
 - ❖ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन
 - ❖ ज्ञान तक पहुंच, मर्यादित रहन-सहन

- नोट: दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का मापन जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है।

वर्ष 1990 से भारत का मानव विकास प्रदर्शन					
वर्ष	जन्म पर जीवन प्रत्याशा वर्ष	स्कूलिंग का अनुमा. नित वर्ष	स्कूलिंग का मध्य वर्ष	सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (डॉलर)	एचड. आई मूल्य
1990	57.9	7.6	3.0	1733	0.427
1995	60.4	8.2	3.5	2015	0.460
2000	62.6	8.3	4.4	2470	0.493
2005	64.6	9.7	4.8	3157	0.535
2010	66.6	10.8	5.4	4357	0.581
2015	68.3	12.0	6.3	5691	0.627
2016	68.6	12.3	6.4	6026	0.636
2017	68.8	12.3	6.4	6353	0.640

- नोट: (प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2011 के आधार पर पीपीपी डॉलर में)

भारत के विभिन्न मानव विकास संकेतक	
भारत में मातृत्व मूल्य दर	174 (प्रति 10,000 जीवित जन्म पर)
किशोरी जन्म दर	23.1
संसद में हिस्सेदारी प्रतिशत	11.6
श्रम बल भागीदारी दर	महिला (27.2 प्रतिशत) पुरुष (78.8 प्रतिशत)
पुरुष मानव विकास मूल्य	0.683
महिला मानव विकास मूल्य	0.575
औसत जीवन प्रत्याशा	68.8 वर्ष
पुरुष जीवन प्रत्याशा	70.4 वर्ष
महिला जीवन प्रत्याशा	67.3 वर्ष
स्कूल में जाने का वर्ष	12.3
स्कूल में जाने का वर्ष (महिला)	12.9 वर्ष
स्कूल में जाने का वर्ष (पुरुष)	11.9 वर्ष
स्कूलिंग का माध्य वर्ष	12.3 वर्ष
स्कूलिंग का माध्य वर्ष (महिला)	4.8
स्कूलिंग का माध्य वर्ष (पुरुष)	8.2
प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (पीपीपी)	6353 डॉलर

प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (महिला)	2722 डॉलर
प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (पुरुष)	9729 डॉलर
आबादी के अनुपात में रोजगार	51.9 प्रतिशत (15 वर्ष से अधिक)
श्रम बल भागीदारी दर	53.8
कुल रोजगार में कृषि का योगदान	42.7 प्रतिशत
कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान	33.5 प्रतिशत
कुल श्रम बल में बेरोजगारी	3.5 प्रतिशत
प्रति 10,000 की आबादी पर चिकित्सकों की संख्या	7.6
प्रति 10,000 की आबादी पर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या	7

असमानता समयोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई)

- मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 2010 से इस सूचकांक की गणना आरंभ हुई। इसके तहत किसी देश के भीतर ही मानव विकास का वितरण का मापन किया जाता है।
- आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी तक देश की पूरी आबादी तक पहुंच यह निर्धारित करती हैं जब किसी देश में पूर्णतः समानता की स्थिति होती है तब एचडीआई एवं आईएचडीआई समान होता है।
- जब स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय वितरण में असमानता होती है तब किसी समाज का एचडीआई, एकीकृत एचडीआई की तुलना में कम होता है।
- जितनी अधिक असमानता होती है आईएचडीआई उतना ही कम होता है।

विभिन्न सूचकांकों में भारत की रैंकिंग		
मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)	0.640	130
असमानता समयोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई)	0.468	
लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई)	0.524	127
लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई)	0.841	-

लैंगिक समानता सूचकांक (जीआईआई)

- यह एक समन्वित माप है जो तीन पहतुओं में महिला एवं पुरुष की उपलब्धियों के बीच असमानता को दर्शाता है ये तीन

पहलू हैं: पुनरुत्पादक स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार।

- ⌚ इन तीन पहलुओं के उप-पहलू हैं: मातृत्व मृत्यु दर, किशोरी जन्म दर (15-19 वर्ष की प्रत्येक 1000 महिलाओं द्वारा जन्म देना), संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी, कम से कम कुछ माध्यामिक शिक्षा वाली आबादी तथा श्रम बाजार में भागीदारी दर।

लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई)

- ⌚ पुरुषों की जीडीआई वैल्यू की तुलना में महिलाओं की जीडीआई वैल्यू का अनुपात ही लैंगिक विकास सूचकांक है।
- ⌚ इसमें महिलाओं एवं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा स्कूल में प्रवेश का वर्ष, स्कूल में व्यतीत किए गए वर्ष यानी स्कूलिंग का माध्य वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की गणना व तुलना की जाती है।
- ⌚ इस सूचकांक में विभिन्न देशों को पांच समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।
- ⌚ समूह-1 में पुरुष एवं महिला के बीच एचडीआई प्राप्ति में उच्चतम समानता वाले देश, समूह-2 में 2.5 से 5 प्रतिशत भिन्नता वाले देश, समूह-3 में 5 से 7.5 प्रतिशत भिन्नता वाले देश, समूह-4 में समानता से 7.5 से 10 प्रतिशत भटकाव वाले देश तथा समूह 5 में पुरुष एवं महिलाओं के एचडीआई मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक भटकाव वाले देशों को रखा जाता है।
- ⌚ भारत समूह 5 के देशों में शामिल है अर्थात् पुरुष एवं महिलाओं के मानव विकास सूचकांक स्कोर में 10 प्रतिशत से अधिक का भटकाव है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)

- ⌚ वर्ष 2010 में यह मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा बना।
- ⌚ इस सूचकांक का विकास ऑक्सफॉर्म पॉवर्टी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई), द्वारा किया गया है यह मानव विकास सूचकांक के तीन पहलुओं; स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर में घरेलू स्तर पर अपवंचना की गणना करता है यह मल्टीडायमेंशनल गरीब लोगों का अनुपात तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई अपवंचनाओं की संख्या का मापन करता है।
- ⌚ यह 10 अपवंचना संकेतकों की गणना करता है जिनमें स्कूल जाना एवं उपस्थिति, पोषण, शिशु मृत्यु, कुछ बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच शामिल हैं।
- ⌚ गरीबी के निर्धारण में आय को शामिल किया जाता है जो कि 1.90 डॉलर दैनिक से कम है।

तीसरी कक्षा तक के केवल एक चौथाई बच्चे कहानियां समझने में सक्षम

समाचारों में क्यों

- ⌚ मिलिंडा गेट्स द्वारा किये गये सर्वेक्षण में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले केवल एक चौथाई बच्चे ही सामान्य वाक्यों वाली छोटी कहानी पढ़ और समझ पाते हैं।
- ⌚ इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि केवल एक चौथाई बच्चे ही दो अंकों के घटाव के सवालों का हल कर पाते हैं।
- ⌚ 'बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन रिपोर्ट' के मुताबिक भारत सरकार के अपने राष्ट्रीय आकलन सर्वे में भी यह पता चला है कि इस तरह के बच्चों की बड़ी तादाद है, जिनमें सीखने का स्तर बेहद कम है।

मिलिंडा-गेट्स फाउंडेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट

- ❖ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हाल ही में दूसरी वार्षिक गोलकीपर्स डाटा रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह आंकड़े दिए गये हैं।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले केवल एक चौथाई बच्चे ही सामान्य वाक्यों वाली छोटी कहानी को पढ़ और समझ पाते हैं और एक या दो अंकों के घटाव के सवालों को हल कर पाते हैं।
- ❖ रिपोर्ट में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2017 के आकड़ों का जिक्र किया गया है।
- ❖ रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समस्या के सामने आने के बाद भारत और अन्य देशों में इस पर ध्यान दिया जाने लगा है।
- ❖ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों में 1 बिलियन लोगों ने स्वयं को गरीबी रेखा से उबार लिया है।

मिलिंडा-गेट्स फाउंडेशन के बारे में

- ⌚ बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जिसे गेट्स फाउंडेशन भी कहा जाता है को वर्ष 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने स्थापित किया था।
- ⌚ विकासशील देशों में फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करना और लोगों को भूख और अत्यधिक गरीबी से खुद को बाहर निकालने में मदद करना है।

प्रश्नपत्र - 2

आधार वैध: सर्वोच्च न्यायालय

समाचारों में क्यों

- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का आधार पर फैसला

- ❖ सीबीएसई, नीट (NEET) में आधार जरूरी नहीं है। इसके आलावा स्कूल में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है।
- ❖ आधार को मोबाइल से लिंक करना आवश्यक नहीं है। बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे तार्किक सोच। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑथेंटिकेशन डाटा सिर्फ 6 महीने तक ही रखा जा सकता है। कम से कम डेटा होना चाहिए।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते वक्त कहा कि आधार से समाज के बिना पढ़े-लिखे लोगों को पहचान मिली है।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार आम आदमी की पहचान है।
- ❖ पैन कार्ड के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आधार नंबर आवश्यक बना रहेगा।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आधार अन्य आईडी प्रमाणों से भी अलग है क्योंकि इसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता।
- ❖ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99.76 प्रतिशत लोगों को सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- ❖ समाज को इससे फायदा हो रहा है तथा दबे कुचले तबके को इससे फायदा मिल रहा है।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुरक्षा मामलों में एजेंसियां आधार की मांग कर सकती हैं।
- ❖ सुरक्षा लहजे से आधार की मांग करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मान्य होगा।

- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आधार आम आदमी की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार की संवैधानिकता कुछ बदलावों के साथ बरकरार रहेगी।
- ⦿ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूण और अशोक भूषण ने आधार की अनिवार्यता पर अहम फैसला सुनाया है।

पृष्ठभूमि

- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में आधार और इससे जुड़ी 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी।
- ⦿ 38 दिन तक चली सुनवाई के बाद 10 मई को पांच न्यायाधीशों की बैंच ने फैसला सुरक्षित रखा था।
- ⦿ पीठ ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्रस्वामी की याचिका सहित 31 याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

यूआईडीएआई

- ⦿ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक सार्विधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सम्बिली, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम, 2016") के प्रावधानों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत् दिनांक 12 जुलाई, 2016 को की गई।
- ⦿ यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों को "आधार" नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान करने हेतु की गई थी ताकि इसके द्वारा (क) दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके और (ख) उसे आसानी से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके।
- ⦿ प्रथम यूआईडी नम्बर महाराष्ट्र केन्द्रबाबर की निवासी रंजना सोनवाने को 29 सितम्बर 2010 को जारी किया गया।

नागराज मामले पर पुनर्विचार नहीं: एस.सी

समाचारों में क्यों

- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने नागराज मामले में फैसले को सही बताते हुए फैसले पर फिर से विचार की जरूरत को खारिज किया।

- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण के लिए कोई डेटा जमा करने की जरूरत नहीं है।
- ⦿ प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि यह मामला 7 जजों की बैंच को नहीं भेजा जाएगा।
- ⦿ प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नागराज जजमेंट में दी व्यवस्था को बैड इन लॉ कहा जिसमें आरक्षण से पहले पिछड़ेपन का डेटा सरकार से एकत्र करने को कहा गया था।

क्या था साल 2006 का फैसला?

- ❖ वर्ष 2006 में नागराज से संबंधित बाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बैंच ने कहा था कि सरकार एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है, लेकिन शर्त लगाई थी कि प्रमोशन में आरक्षण से पहले यह देखना होगा कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं।
- ❖ गैरतलब है कि सरकार और आरक्षण समर्थकों ने वर्ष 2006 के एम नागराज के फैसले को पुनर्विचार के लिए सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजे जाने की मांग की थी।
- ❖ मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मांग पर सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 30 अगस्त 2018 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- ❖ सरकार और आरक्षण समर्थकों का कहना है कि एम नागराज फैसले में दी गई व्यवस्था सही नहीं है।

एससी/एसटी:

- ⦿ एससी एसटी अपने आप में पिछड़े माने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची में शामिल होने के बाद उनके पिछड़ेपन के अलग से आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है।
- ⦿ जबकि आरक्षण विरोधियों ने एम नागराज फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि उस फैसले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई व्यवस्था सही कानून है।
- ⦿ उनका कहना था कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं है ऐसे में पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाए बगैर यह कैसे पता चलेगा कि सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए इन्हें प्रोत्तरि में आरक्षण देने की जरूरत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी

समाचारों में क्यों

- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर 2018 को दिशानिर्देश जारी करते हुए देश भर की अदालती कार्यवाही का अब सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) की अनुमति दे दी है।
- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधा प्रसारण सेवा की शुरुआत वह अपने यहां से करेगा।
- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
- ⦿ मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी।
- ⦿ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनहित में जारी है, और इससे पारदर्शिता आएगी।

लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित मुख्य तथ्य

- ❖ कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जिससे न्यायिक व्यवस्था की जवाबदेही बढ़ेगी।
- ❖ हालांकि, कोर्ट ने अयोध्या और आरक्षण जैसे मुद्दों को संवेदनशील बताते हुए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह कोर्ट की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के लिए नियम बनाए।
- ❖ न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत लाइव स्ट्रीमिंग के नियम-कानून बनाए जाएं।
- ❖ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि फिलहाल इसे प्रयोगिक तौर पर ही लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
- ❖ कोर्ट ने कहा कि अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से “जनता का जानने का अधिकार पूरा होगा।

केंद्र सरकार ने दी थी यह दलील:

- ⦿ केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालती कार्यवाही के लाइव प्रसारण के दिशा-निर्देशों पर अपने सुझाव अदालत में दिए थे।
- ⦿ अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत को बताया था कि लाइव प्रसारण का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में शुरू किया जा सकता है।

प्रश्नपत्र - 3

भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था: आईएमएफ

समाचारों में क्यों

- ⌚ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि अगर अनुमान सही रहा तो भारत फिर से दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- ⌚ आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2018 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान 7.3 प्रतिशत रखा है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019 के लिए यह अनुमान 7.4 प्रतिशत कर दिया है।
- ⌚ वित्तीय वर्ष 2017 में भारत का विकास दर 6.7 प्रतिशत था। आईएमएफ ने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का विकास दर वर्ष 2018 में 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और 2019 में यह 7.4 प्रतिशत रहेगा।
- ⌚ हालांकि यह अप्रैल 2018 में वर्ष 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से थोड़ा कम है।
- ⌚ आईएमएफ ने हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत के बावजूद यह कहा कि वर्ष 2017 में विकास की दर 6.7 प्रतिशत से ऊपर रहेगा।

भारत का मध्यम अवधि का विकास मजबूत:

- ⌚ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मध्यम अवधि का विकास मजबूत है और यह 7 प्रतिशत पर है। इस मजबूती में वर्तमान में चल रहे ढांचागत सुधार की बड़ी भूमिका है।

सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था:

- ⌚ हालांकि वर्ष 2017 में चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। वैसे भारत से महज 0.2 प्रतिशत ही ज्यादा थी।
- ⌚ आईएमएफ ने अप्रैल के मुकाबले भारत और चीन के विकास दर के अनुमान में मामूली कटौती कर दी है।
- ⌚ भारत के लिए यह 0.4 प्रतिशत और चीन के लिए 0.32 प्रतिशत कम किया गया है।
- ⌚ हाल में भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए गए। इसमें जीएसटी का अनुपालन काफी अहम कदम रहा।
- ⌚ साथ ही महंगाई का तय लक्ष्य और दिवालिया कानून महत्वपूर्ण है।

विश्व बैंक ने भारत में भरोसा दिखाया:

- ⌚ विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में मजबूती आ रही है और चालू वित्त वर्ष में इसके 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- ⌚ इसके बाद अगले दो वर्षों में यह और बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।
- ⌚ विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की अस्थायी बाधाओं के प्रभावों से निकल चुकी है।

विश्व की पहली बायो-इलेक्ट्रिक मेडिसिन

समाचारों में क्यों

- ⌚ अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी तथा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा दावा किया गया है कि उन्होंने विश्व की पहली बायो-इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है।
- ⌚ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा को शरीर में इम्प्लांट किया जा सकता है। यह एक बायोडिग्रेडेबल वायरलेस डिवाइस है जो तंत्रिकाओं के री-जनरेशन तथा क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं के उपचार में सहायक है।
- ⌚ माना जा रहा है कि यह खोज भविष्य में तंत्रिका कोशिकाओं के उपचार के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

खोज के मुख्य बिंदु

- ❖ बायो-इलेक्ट्रिक दवा एक किस्म की वायरलेस डिवाइस होती है, इसे शरीर के बाहर एक ट्रांसमीटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- ❖ माना जा रहा है कि एक बार इम्प्लांट करने के बाद यह अगले दो सप्ताह तक शरीर में कार्य कर सकती है।
- ❖ इस अवधि के उपरांत यह दवा स्वतः ही शरीर में अवशेषित हो जाती है।
- ❖ इसका आकार एक छोटे सिक्के जितना होता है तथा मोटाई कागज के समाज होती है।
- ❖ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका प्रयोग पहले चूहों पर किया गया जिसके सकरात्मक परिणाम पाए गये।
- ❖ प्रयोग के बाद पाया गया कि चूहों में बायो-इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्जिकल रिपेयर प्रक्रिया के बाद नियमित रूप से तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त हिस्से को इलेक्ट्रिक इम्पल्स देती है।

- ❖ इससे उन चूहों की टांगों की तंत्रिका कोशिकाओं में पुनः वृद्धि हुई और बाद में उनकी मांसपेशी की मजबूती व नियंत्रण में भी वृद्धि हुई।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- ❖ इस प्रकार की दवा से सीधे ही शरीर के क्षतिग्रस्त भाग अथवा उपचार की आवश्यकता वाले भाग पर कार्य किया जा सकता है।
- ❖ पारंपरिक दवा से होने वाले साइड इफेक्ट की तरह इसमें यह खतरा कम होगा।
- ❖ इस इम्प्लांट को शरीर में स्थापित करने के बाद उसकी देखरेख करने की अधिक चिंता नहीं होगी क्योंकि यह स्वतः ही अवशोषित हो जाती है।
- ❖ भविष्य में इस प्रकार की दवा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति का कारण बन सकती है।

भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत: रिपोर्ट

मुद्दा क्या है

- ⌚ सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 09 अक्टूबर 2018 को हाल ही में सड़क हादसों से सम्बंधित रिपोर्ट जारी की गई।
- ⌚ इस रिपोर्ट में देश में सड़क हादसों के बारे में जानकारी दी गई है।
- ⌚ सड़क परिवहन मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में पिछले साल एक लाख 47 हजार 913 मारे गए और चार लाख 70 हजार 975 लोग घायल हुए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- ❖ देश में पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं और इनमें मरने वालों की संख्या लगातार दूसरे साल घटी है जो पहले साल के मुकाबले क्रमशः 3.3 और 1.9 प्रतिशत कम है।
- ❖ इस आंकड़े के अनुसार हर दिन 1273 सड़क दुर्घटनाएं हुईं जिम्में हर दिन 405 लोगों की मौत हुई।
- ❖ इस हिसाब से देश में हर घंटे 17 लोगों को सड़क हादसों में जान गंवानी पड़ रही है।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 राज्यों में सबसे ज्यादा 65 हजार 562 सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुईं लेकिन सबसे ज्यादा 20 हजार 174 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए।
- ❖ इस दौरान तमिलनाडु में मरने वालों की संख्या 16 हजार 157 रही और वह दूसरे स्थान पर रहा।
- ❖ इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 38 हजार 783 सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

राज्यवार आंकड़े

- ⌚ श्रीर्व 15 राज्यों में 12 हजार 264 मौतों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है जबकि 10 हजार 609 मौतों के साथ कर्नाटक चौथे स्थान पर है।
- ⌚ इसी प्रकार 10 हजार 444 मौतों के साथ राजस्थान पांचवें स्थान पर है।
- ⌚ इस क्रम में कर्नाटक में 42 हजार 542 तथा महाराष्ट्र में 35 हजार 8523 और राजस्थान में 27 हजार 112 सड़क दुर्घटनाएं हुईं।
- ⌚ मृतकों की संख्या के हिसाब से राजस्थान 10 हजार 177 मौतों के साथ छठे स्थान पर है बिहार, पांच हजार 554 मौतों के साथ 11वें और पांच हजार 120 मौतों के साथ हरियाणा 12वें स्थान पर है।
- ⌚ सूची में पंजाब चार हजार 468 मौतों के साथ 14वें तथा छत्तीसगढ़ चार हजार 136 घटनाओं के साथ 15वें स्थान पर है।
- ⌚ मध्य प्रदेश में इस दौरान 53 हजार 399, हरियाणा में 11 हजार 258 तथा तथा बिहार में आठ हजार 855 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।
- ⌚ छत्तीसगढ़ में इस अवधि में 13 हजार 563 तथा पंजाब में छः हजार 273 घटनाएं हुई हैं।

‘फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया’ रिपोर्ट

समाचारों में क्यों

- ⌚ विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में “फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया” रिपोर्ट जारी की गई।
- ⌚ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कम्पनियाँ तेज़ी से विकास कर रही हैं वे पुरुषों को बतौर कर्मचारी रखना अधिक पसंद करती हैं।
- ⌚ यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की ओर से आज्वर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा पर्याप्त नये अवसर तथा संभावनाएं मौजूद हैं।

फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट

- ❖ रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तिहाई कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है।
- ❖ भारत में रोज़गार सृजन काफी तीव्र गति से हो रहा है लेकिन देश की केवल 26 प्रतिशत महिलाएं ही कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, यह वैशिक स्तर से काफी नीचे है।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक तीन में से एक कंपनी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को काम पर रखने में प्राथमिकता देती है जबकि दस में से एक कंपनी ही महिलाओं को काम पर रखने के लिए प्राथमिकता देती है।

प्रश्नपत्र - 4

लोकपाल और लोकायुक्त

परिचय (Introduction)

- ❖ लोकपाल की अवधारणा
- ❖ लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- ❖ राज्यों में लोकायुक्त
- ❖ हिस्से ब्लॉअर संरक्षण विधेयक


लोकपाल की अवधारणा

- ⌚ लोकपाल शब्द स्वीडिश 'आम्बड़समैन' का हिंदी रूपांतरण है। इसका तात्पर्य ऐसे अधिकारों से जिसका कार्य नागरिकों की संभावित प्रशासन और उससे होने वाले नुकसानों से बचाना है।
- ⌚ भारत में ओम्बड़समैन के सदृश लोकपाल के पद के सूजन के लिए किए जा रहे प्रयासों का इतिहास कई वर्ष पुराना है।
- ⌚ इसकी स्थापना के लिए एम.सी. सीतलवाड़, एल.एम. सिंघवी,

अनेक अन्य कानूनविदों एवं संसदों के साथ-साथ प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी पुरजोर वकालत की।

- ⌚ प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1966 ई.) में केन्द्र स्तर पर लोकपाल के साथ-साथ राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की भी संस्तुति की।
- ⌚ लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम 1968 ई. में लोकसभा में पेश हुआ और वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा गया। परंतु, लोक सभा के दिसंबर, 1970 में विघटन के कारण यह राज्यसभा में पारित हुए बिना व्यवगत हो गया।
- ⌚ 4 अगस्त, 2011 ई. को लोकपाल बिल का नौवा संस्करण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् इसे संसद की स्टैडिंग, समिति को विचारर्थ भेज दिया गया।
- ⌚ लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर, 2013 ई. को पारित किया गया। इसके बाद 1 जनवरी, 2014 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए।

2. Organizational Structure & Working of JAN LOKPAL Bill



- ➲ इस प्रकार 45 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अंततः लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया।
- ➲ लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के द्वारा एक ऐसा भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत सृजित लोकपाल की संस्था खास लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों एवं सम्बद्ध मुद्दों की जांच करेगी।
- ➲ वास्तव में, लोकपाल के पद की आवश्यकता के प्रति बढ़ते आकर्षण के पीछे बढ़ते भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कठिपय अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जो निम्नलिखित हैं-
 1. सरकारी गतिविधियों का विस्तार।
 2. लोक प्राधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि।
 3. प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) में वृद्धि।
 4. सरकार से आम जनता की उम्मीदों में वृद्धि।
 5. राज्य की बढ़ती शक्ति के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता।
 6. विधायिका का कार्यपालिका पर घटता नियंत्रण।
 7. न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ पर तदनुसार आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाना।
 8. प्रशासनिक अधिकरणों की कमी एवं प्रशासकीय गलतियों में इजाफा।

लोकपाल/लोकायुक्त विधेयक के प्रमुख प्रावधान

1. केन्द्र स्तर पर लोकपाल व राज्य पर लोकायुक्त का प्रावधान।
2. लोकपाल की संरचना में एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्यों होते हैं। आधे सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होने अनिवार्य। और आधे SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक व महिलाओं में से होने चाहिए।
3. इसके अध्यक्ष व सदस्यों का एक चयन समिति द्वारा होगा। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कोई पीठासीन न्यायाधीश और उक्त चारों के द्वारा संस्तुत कोई प्रख्यात विधिवेत्ता, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
4. प्रधानमंत्री का पद, सभी श्रेणी के लोक सेवक भी लोकपाल की जांच के दायरे में रहेंगे।
5. सभी संगठन (एफ.सी.आर.ए.) के तहत विदेशी म्रातों से

दान या सहायता राशि प्राप्त करते हैं, उन्हें भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है इस राशि की सीमा 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से ऊपर है।

6. लोकपाल स्वयं द्वारा प्रेषित किए गए मुद्दे की जांच करने के क्रम में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों सहित अन्य जांच एजेंसियों का अधीक्षण करने एवं उन्हें निर्देश देने की शक्ति से भी युक्त होगा।
7. लोकपाल को आरोपी अभियोजन की सम्पत्ति जांच करने की भी शक्ति है। इसके साथ विशेष न्यायालय के गठन का भी उपबंध करता है।
8. विधेयक में इस बात का भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 365 दिनों के भीतर राज्य विधायिकाओं को भी विधि द्वारा लोकायुक्त की संस्था का गठन करना होगा।
9. लोकपाल संस्था के प्रशासकीय व्यय भारत की संचित निधि में भारित होंगे।

राज्यों में लोकायुक्त

- ➲ इसकी शुरूआत प्रथमतः ओडिशा में 1970 ई. में हुई।
- ➲ राज्य स्तर पर लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।
- ➲ इसकी वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और इसकी संस्तुतियां प्रायः स्वीकार की जाती हैं।
- ➲ संस्तुतियों को अस्वीकारने पर राज्य सरकार को इसके कारण बताते हुए एक विशेष रिपोर्ट विधायिका के समक्ष पेश करनी होती है।
- ➲ प्रायः लोकायुक्त का अपना कार्यालय, स्टॉफ और बजट होता है। उसकी सहायता करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न अधिकरण कार्यरत होते हैं। लोकायुक्तों की प्रभावकारिता सभी राज्यों में एक समान नहीं रही है। कुछ राज्यों में तो राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के सहयोग में लोकायुक्तों ने बेहतर कार्य किया है पर अधिकांश राज्यों में यह संस्था राजनीतिक उपेक्षा की शिकार हुई है।
- ➲ लोकायुक्त की संस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट 'एथिक्स इन गवर्नेंस' में संस्तुति की, कि लोकायुक्त की संस्था को बहुसदस्यीय बनाया जाना चाहिए जिसका अध्यक्ष किसी न्यायिक सदस्य को होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होना चाहिए।

प्रधानमंत्री लेखन परिषद का अधिकारी लेख

जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र

येल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री वित्तियम डी. नॉर्डहॉस को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाने के लिए सरकारों को मनाने में चार दशक लग गए। उनके काम से ज्यादातर अर्थशास्त्री आश्वस्त हैं और अब उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। लेकिन नॉर्डहॉस दुखी होकर कहते हैं, वह अपने देश की सरकार को आश्वस्त नहीं कर पाए।

पुरस्कार की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि 'सरकार की नीतियां विज्ञान से काफी पीछे तो हैं ही, क्या किए जाने की जरूरत है, उससे भी बहुत दूर है। ऐसे में आशावादी होना मुश्किल है। ट्रंप प्रशासन की विनाशकारी नीतियों के चलते वास्तव में हम पिछड़ते जा रहे हैं।'

नॉर्डहॉस के साथ इस बार न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री पॉल एम रोमर को भी यह पुरस्कार दिया गया है, जिनका काम दर्शाता है कि सरकारी नीति तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संयुक्त राष्ट्र पैनल द्वारा बढ़ते तापमान के विनाशकारी परिणाम को कम करने के लिए सार्वजनिक नीति में बड़े बदलाव की आवश्यकता पर जोर देने के कुछ ही घंटों बाद इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

इसे जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले मजबूत कदम के समर्थकों द्वारा ट्रंप प्रशासन को झटका माना गया। गौरतलब है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन को सीमित करने वाले वैश्विक प्रयासों से अपना हाथ छींच लिया।

रोमर, जिन्होंने समाज के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर ज्यादा आशावादी नजरिया पेश किया है, कहते हैं कि उनका काम दर्शाता है कि सरकारें तकनीकी बदलाव ला सकती हैं। उन्होंने 1990 के दशक में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों की सफलता पर ध्यान दिया था।

वह कहते हैं, 'आज समस्या यह है कि लोग सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना महंगा और कठिन होगा, इसलिए वे उसकी अनदेखी करना चाहते हैं और बहाना बनाते हैं कि ऐसी समस्या है ही नहीं। यदि हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो मनुष्य अद्भुत उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं।'

सतहतर वर्षीय नॉर्डहॉस ने 1963 में येल से ग्रेजुएशन किया और 1967 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर वह अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में येल विश्वविद्यालय लौट आए और तब से वहां पर हैं।

प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 1970 के दशक में नॉर्डहॉस समेत कई अर्थशास्त्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि इसका सबसे प्रभावी इलाज कर लगाना है 'सरकार को पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषकों को इसके लिए भुगतान करने के लिए कहना चाहिए।' यह विचार अर्थशास्त्रियों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय है। सोमवार को उन्होंने कहा कि 'बाजार से जुड़े समाधान का कोई विकल्प नहीं है।'

फसल की बर्बादी और बाढ़ समेत जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए नॉर्डहॉस ने एक आर्थिक मॉडल विकसित किया, जिसे डायनोमिक इंटीग्रेटेड क्लाइमेट-इकोनॉमी मॉडल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 'इसका उद्देश्य सचेतन रूप से यह सुझाव देना है कि हम अपने ग्रह के भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं।'

नॉर्डहॉस द्वारा विकसित दृष्टिकोण उद्योग मानक बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पर सोमवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि व्यापक नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्यावरणीय विनियमों में बदलाव के लिए त्वरित तालमेल बनाने की आवश्यकता होगी।

नोबेल समिति ने ग्रीनहाउस गैसों के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सार्वभौमिक रूप से कार्बन टैक्स लगाने के प्रभावी उपाय सुझाने के लिए नॉर्डहॉस का जिक्र किया। उन्होंने आर्थिक विकास से संबंधित व्यापक मुद्दों पर भी काम किया है। 1996 में प्रकाशित एक शोध आलेख में उन्होंने दिखाया कि विकास का पारंपरिक माप जीवन की गुणवत्ता में सुधार को कम करता है।

बासठ वर्षीय रोमर को आर्थिक विकास के निर्धारकों पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया। अर्थव्यवस्था के व्यापक कार्यकलापों का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री मानते थे कि नवाचार की गति मानव व्यवहार से प्रभावित होती थी, पर उन्हें इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी।

नतीजतन वे अक्सर नवाचार को स्वर्ग का अमृत मानते थे, न कि सार्वजनिक नीति का एक वैध विषय। रोमर ने शिकायो विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की।

उन्होंने कहा कि वह विकास सिद्धांत के प्रति आकर्षित थे, क्योंकि वह नवाचार की तेजी से चमत्कृत थे, जो आधुनिक युग का प्रतीक है। अपने शोध पत्रों में रोमर ने यह विचार विकसित किया कि राष्ट्र अनुसंधान में निवेश करके और बौद्धिक संपदा के स्वामित्व को नियंत्रित करने वाले कानून बनाकर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।

रोमर और नॉर्डहॉस के योगदानों में व्यापक समानताएं हैं। नोबेल समिति ने जोर देते हुए कहा कि दोनों विद्वानों ने अपने कामकाज में यह तर्क दिया है कि 'बाजार अपूर्ण है और सरकारी हस्तक्षेप परिणामों में सुधार ला सकता है।'

टोरंटो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री जोशुआ गन्स ने कहा कि दोनों ने सरकारी हस्तक्षेप में बाधा कम करने में भी मदद की है—जलवायु परिवर्तन के मामले में निष्क्रियता की कीमत का अनुमान लगाकर, नवाचार के मामले में सक्रियता के लाभ का आकलन करके। गन्स लिखते हैं, दोनों ने दिखाया कि आर्थिक बलों का सचेत लेखांकन कैसे प्रगति की तरफ ले जा सकता है।

लेकिन ये दोनों विद्वान नीति-निर्माताओं को अपने विचार से सहमत कराने के लिए जूझ रहे हैं। रोमर, जो कोलोराडो के पूर्व गवर्नर के पुत्र है, कहते हैं, अर्थशास्त्री को खुले तौर पर अभियान चलाने के बजाय तथ्यों के व्यवसाय में तटस्थ व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा हासिल करने की आवश्यकता होती है।

नॉर्डहॉस कहते हैं कि सिर्फ दृष्टिकोण पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। वह कहते हैं, 'हम विज्ञान समझते हैं, हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि कैसे राष्ट्रों को इस मुद्दे पर एक साथ लाया जाए।'

भारतीय मानक समय

मेट्रोलॉजी माप का विज्ञान है जिसमें विविध परिमाणों एवं इकाइयों के भार एवं माप का अध्ययन शामिल है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निरंतर एवं दीर्घकालिक शोध एवं विकास प्रयासों से, इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) माप का एक एकीकृत आधुनिक मीट्रिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है।

एसआई प्रणाली, जिसमें शामिल हैं; आधार (स्वतंत्र) इकाइयां (मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एंपीयर, मोल) एवं निष्पण (निर्भर) इकाइयां, यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि विश्वसनीय मापें कहीं भी और कभी भी (समान) परिणाम दे सकती है।

मेट्रोलॉजिकल मानक, सर्वाधिक संभव स्टीकता के साथ मौलिक इकाई की पूर्ण स्वीकृति है। मात्रा के प्राथमिक मानक प्रत्येक इकाई के लिए बनाए जाते हैं और प्रत्येक देश की राष्ट्रीय माप संस्थान (National Measurement Institute-NMI) द्वारा इसका रख-रखाव किया जाता है। भरोसेमंद माप प्राप्त करने के लिए सभी व्यावहारिक मानकों को प्राथमिक मानक के

संदर्भ में बनाया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण बिन्दु

समय की माप विज्ञान में आवर्ती घटनाओं की निरंतर गणना शामिल होती है। प्रत्येक घड़ी आवृत्ति स्रोत यानी फ्रीक्वेंसी स्रोत (दोलन या ऑसिलेटर), काउंटर एवं डिस्प्ले से युक्त होती है।

किसी भी घड़ी की गुणवत्ता उसके दोलन पर निर्भर करती है और दोलन की गुणवत्ता उसकी शुद्धता एवं स्थायित्व पर निर्भर करती है। समय को मापने की मूल इकाई सेकेंड है। इसमें 60 से गुणा करने पर एक मिनट निकलता है और 3600 से गुणा करने पर एक घंटा निकलता है।

दिन की लंबाई और यहां तक कि वर्ष को भी समय की मूल इकाई सेकेंड से मापा जाता है। सेकेंड से नीचे के अंतरालों को सेकेंड के 10वां, 100वां, 1000वां के क्रम में अरबवां हिस्सा तक मापा जाता है।

भारत में संसद के एक कानून (भारत का राजपत्र संख्या 589) द्वारा भारतीय मानक समय (आईएसडी) सहित सात मूल इकाइयों की प्राप्ति, स्थापना, रख-रखाव एवं प्रसार का जिम्मा सीएसआईआर-एनपीएल

को सौंपा गया है सीएसआईआर-एनपीएल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनपीएलआई के नाम से जाता है, और जो कि भारत के समय का रखवाला है, के पास प्राथमिक संदर्भ घड़ी (Primary Reference Clock) है।

सीएसआईआर (Council of Scientific and Industrial Research) - एनपीएल (National Physical Laboratory) की जिम्मेदारी समय अंतराल की मानक इकाई सेकेंड को भारत में समय का इस्तेमाल करने वाले हजारों उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराना भी है जो केवल जमीन पर नहीं है बल्कि समुद्र में जहाज और हवा में हवाई जहाज और उपग्रह तक शामिल हैं।

भारतीय मानक समय का इतिहास

भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार $8^{\circ}4'28''$ उत्तरी से लेकर $37^{\circ}17'53''$ उत्तरी तथा देशांतरीय विस्तार $68^{\circ}7'53''$ पूर्वी से लेकर $97^{\circ}24'47''$ पूर्वी है। लगभग 30° का समान अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार होने के बावजूद भारत एकल टाइम जोन में पड़ता

प्रारम्भिक परीक्षा विशेष - 2019

एवं एवं पारिस्थितिक क्षेत्र (भाग = 2)

भारत में जैव विविधता: संक्षिप्त अध्ययन

यद्यपि भारत का भूमिक्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, यहाँ पृथ्वी पर दर्ज सभी प्रजातियों का 7-8% जिसमें पादपों की 45,000 से अधिक प्रजातियाँ एवं जतुओं की 91,000 प्रजातियाँ शामिल हैं, पायी जाती हैं। इसी कारण से विश्व के कुल 17 मेंगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया गया है। यह एक्रोट्रॉपिकल (*Afrotropical*), इंडो-मलय (*Indo-Malayan*) एवं पैलेयार्क्टिक (*Palaearctic*) जैव भौगोलिक क्षेत्रों (*Biogeographical Realms*) के त्रिं-जंक्शन पर स्थित है, जो सभी उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं।

विश्व की कुल प्रजातीय विविधता में भारत की हिस्सेदारी निम्नलिखित है:-

स्तनपायी	8.58%
पक्षी	13.66%
सरीसृप	7.91%
जलथलचरी	4.66%
मत्स्य	11.72%
पादप	11.80%

जैव भौगोलिक इकाईयाँ

1. पारिक्षेत्र/जैव भौगोलिक क्षेत्र

- पारिक्षेत्र पृथ्वी के धरातलीय सतह के जैव भौगोलिक विभाजन हैं, जो स्थलीय जीवों के वितरण संबंधी प्रतिरूपों पर आधारित हैं।
- चूंकि इनमें जीवमंडल (*Biosphere*) का केवल स्थलीय भाग शामिल है, इन्हें स्थलीय पारिक्षेत्र भी कहा जाता है।
- ज्ञातव्य है कि जीवोम एवं पारिक्षेत्र दोनों ही विभिन्न पारित्रों के समूह को इंगित करते हैं परन्तु जीवोम में जीवमंडल के धरातलीय एवं जलीय दोनों भागों को सम्मिलित किया जाता है, वही पारिक्षेत्र के अंतर्गत केवल स्थलीय भाग सम्मिलित है।
- एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जीवोम जहाँ एक

पारिस्थितिक इकाई (Ecological Unit) है, वहाँ पारिक्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई है।

- पृथ्वी को 8 पारिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो निम्न हैं-
 - पैलेयार्क्टिक (*Palaearctic*): यूरोशिया का अधिकांश हिस्सा, एवं उत्तरी अफ्रीका के कुछ भागों को इसके अंतर्गत रखा गया है। यह पारिक्षेत्र विश्व का विशालतम पारिक्षेत्र है।
 - नियार्क्टिक (*Nearctic*): इसके अंतर्गत उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा आता है।
 - एफ्रोट्रॉपिक (*Afrotropic*): इसमें सब-सहारन (*Sub-saharan*) अफ्रीकी क्षेत्र शामिल हैं।
 - नियोट्रॉपिक (*Neotropic*): दक्षिणी अमेरिका एवं कैरेबियन द्वीप को सम्मिलित करता है।
 - ऑस्ट्रेलेशिया (*Australasia*): इस पारिक्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एवं समीपवर्ती द्वीप सम्मिलित हैं। इस पारिक्षेत्र की उत्तरी सीमा को 'वैलेस लाइन' (*Wallace Line*) कहा जाता है।
 - इंडो-मलया (*Indo-Malaya*): इस क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया शामिल हैं।
 - ओशिया (*Oceania*): इसके अंतर्गत पॉलिनेशिया, मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग आते हैं।
 - अंटार्क्टिक (*Antarctic*): इसमें अंटार्क्टिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह सबसे छोटा पारिक्षेत्र है।

भारतीय भू-भाग 2 पारिक्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं:-

- पैलेयार्क्टिक (*Palaearctic*): भारत में हिमालयी क्षेत्र इस पारिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इंडो-मलया (*Indo-Malaya*): उपमहाद्वीप का शेष हिस्सा इंडो-मलय पारिक्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है।

2. जैव भौगोलिक क्षेत्र

- भारत एक विशालकाय देश है। यहाँ की जलवायु एवं स्थलाकृति के लक्षण एक समान नहीं हैं। देश की व्यापक भिन्नताओं के परिणामस्वरूप यहाँ प्राणियों एवं वनस्पतियों की भरपूर विविधता है।

● प्राणियों एवं वनस्पतियों के अध्ययन की दृष्टि से भारत को दस जैव-भौगोलिक क्षेत्रों (*Biogeographic Zones*) में बाँटा गया है। वर्गीकरण प्रत्येक क्षेत्र की विशेष प्रकार के जलवायु, मृदा, भौतिक लक्षण एवं जैव विविधता को ध्यान में रखकर किया गया है। इन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र मिलते हैं। जैसे पर्वत, पठार, नदी, जंगल, मरुस्थल, आर्द्रभूमि, झील, मैंग्रोव (कच्छ वनस्पति), कोरल, समुद्री किनारा, समुद्र एवं द्वीप।

3. जैव भौगोलिक प्रांत

भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों को पुनः 27 जैव भौगोलिक प्रांतों में विभाजित किया गया है। जैव भौगोलिक प्रांत वृहत् क्षेत्रों (*Realms*) के पारिस्थितिकीय या जैविक उपखंड हैं।

जैव भौगोलिक क्षेत्र	जैव भौगोलिक प्रांत	भारत के भौगोलिक क्षे. का%
1. द्रांस हिमालय	A. हिमालय-लद्दाख पर्वत B. हिमालय-तिब्बत का पठार C. द्रांस- सिक्किम हिमालय	3.3 2.2 0.1
2. हिमालय	A. हिमालय-उ.-प. हिमालय B. हिमालय-पश्चिम हिमायल C. हिमालय-केन्द्रीय हिमालय D. हिमालय-पूर्व हिमालय	2.1 1.6 0.2 2.5
3. भारतीय मरुस्थल	A. मरुस्थल-थार B. मरुस्थल-कच्छ	5.4 1.1
4. अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र	A. अर्द्धशुष्क-पंजाब के मैदान B. अर्द्ध-शुष्क-गुजरात राजपूताना	3.7 12.9
5. पश्चिमी घाट	A. पश्चिमी घाट-मालाबार का मैदान B. पश्चिमी घाट-प. घाट पर्वत	2.0 2.0
6. दक्कन का पठार	A. दक्कन का पठार-मध्य उच्चभूमि B. दक्कन का पठार-छोटा नागपुर C. दक्कन का पठार-पूर्वी उच्चभूमि D. दक्कन का पठार-मध्य पठार E. दक्कन का पठार-द. दक्कन	7.3 5.4 6.3 12.5 10.4
7. गंगा का मैदान	A. गंगा का मैदान-उपरी गंगा का मैदान B. गंगा का मैदान- निचली गंगा	6.3 4.5
8. तटीय क्षेत्र	A. तटीय क्षेत्र-पश्चिमी तट B. तटीय क्षेत्र- पूर्वी तट C. तटीय क्षेत्र-लक्ष्मीप	0.6 1.9 0.1
9. उत्तर-पूर्वी भारत	A. उत्तर-पूर्वी भारत-ब्रह्मपुत्र की घाटी B. उत्तरी-पूर्वी भारत उत्तर-पूर्वी पहाड़ियाँ	2.0 3.2
10. द्वीप समूह	A. द्वीप समूह-अंडमान B. द्वीप समूह-निकोबार	0.1 0.2

भारत में जंतु विविधता

● विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है।

1. कशेरूकी जंतु (*Vertebrates organism*)
2. अकशेरूकी जंतु (*Invertebrates organism*)

कशेरूकी जंतु (*Vertebrates organism*)

इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं।

इस वर्ग के जंतु पृथक् के सर्वाधिक विकसित जंतु हैं। यद्यपि कशेरूकी समस्त प्राणी जगत में एक बहुत ही छोटे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके आकार एवं गतिशीलता अक्सर उन्हें अपने वातावरण पर हावी होने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। कशेरूकी जंतुओं को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है:-

मत्स्य (Pisces)

- ये खारे एवं मीठे जल दोनों जगहों पर पायी जाती हैं।
- इनकी त्वचा शल्क (*Scales*) अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूँछ का प्रयोग करने के लिए करती हैं।
- ये असमतापी (*Cold-blooded*) होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है।
- श्वसन किया हेतु इनमें गिल्स (*Gills*) पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
- इनका शरीर धारारेखीय होता है जो तैरने में सहायता करता है।
- ये अंडे देती हैं।
- कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि (*Cartilage*) का बना होता है, जैसे-शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे-टट्यूना, रोहू आदि।

उभयचर (Amphibians)

- उभयचर, सरीसृप एवं मत्स्य के बीच की प्रजाती है।
- ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं।
- ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ (*mucus glands*) पाई जाती हैं जिसके कारण इनकी त्वचा अत्यधिक चिकनी होती है।
- ये फेफड़े एवं गिल्स दोनों के माध्यम से श्वसन करने में सक्षम होते हैं।
- ये भी असमतापी जंतु होते हैं, इनके हृदय त्रिकक्षीय होते हैं।
- ये अंडे देने वाले जंतु हैं।